

स0स0 14 / एम 11-04/2018  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक  
 बी0एम0 बीडला, हार्ट रिसर्च, सेटर  
 १/१ नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु  
 कोलकत्ता-७०००२७

पटना, दिनाक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	उज्जवल कुमारी पिता— मजीत राय ग्राम+पो0— पानापुर लगा थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	हृदय रोग एसडी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196857.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0— 23210200000002, खाता धारक का नाम— बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-७०००२७ ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ७५३(१४)

पटना, दिनांक १४/३/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १७६४५७ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई ई मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख